न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोद कुमार मीना, आर.ए.एस

वाद संख्या – 117 / 2011
किस्म मुकदमा– दावा
तारीख निर्णय – 07.06.2019

1. श्याम पुत्र मुख्तार जाति जाट साकिन सेवला तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

– वादी

बनाम

1. बसन्ता पुत्र रामजी जाति जाट साकिन सेवला तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
2. पुनिया वेवा शेरसिंह जाति जाट साकिन सेवला तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
3. मंगतू पुत्र शेरसिंह जाति जाट साकिन सेवला तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
4. दामोदर पुत्र शेरसिंह जाति जाट साकिन सेवला तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
5. भूपालसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जाट साकिन सेवला तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
6. सत्तो पुत्री शेरसिंह जाति जाट साकिन सेवला तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
8. सब रजिस्ट्रार नदबई
9. पी.एन.बी. शाखा नदबई
10. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भरतपुर जरिये प्रबंधक

– प्रतिवादीगण

उपस्थितः– 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट

राजमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88,89,188 आर टी ए के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नं.

208 रकबा 0.05 हैक्ट, 209 रकबा 0.14 हैक्ट. किता 2 रकबा 0.19 हैक्ट. वाके ग्राम सेवला तहसील नदबई पर स्थित है। उक्त विवादित आराजी साबिक ख.न. 134 रकवा 15 विस्वा से बना है। ख.न. 134 रकेवा 15 विस्वा का काबिज खातेदार शेरसिंह व बसन्ता पिसरान रामजीत जाति जाट निवासी सेवला थे। जिन्होने दिनांक 18.01.1974 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र मुझ वादी को विक्रय कर दिया तथा कब्जा भी उक्त आराजी का वक्त बयनामा मुझ वादी को समझला दिया तथी से मुझ वादी आज तक उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु विक्रय पत्र का हल्का पटवारी द्वारा रिकार्ड में मुझ वादी के नाम नामान्तकरण दर्ज न करने के कारण विक्रेता के नाम ही रिकार्ड में इन्द्राजात चले आ रहे है। जबकि कानून विक्रय पत्र के समय ही उक्त आराजी पर मुझ वादी के हक प्राप्त हो गये है। तथा काबिज होकर चले आ रहै है। तथा प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई हक विक्रय करने के बाद शेष नही रहता और ना ही प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी पर काबिज है ऐसी स्थिति में वादी आराजी पर अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। तथा रिकार्ड में प्रतिवादीगण के इन्द्राजात को कलमजन कराकर वादी अपनी खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। रिकार्ड में विवादित अराजी पर मुझ वादी का इन्द्राजात ना होने के कारण तथा गलती से प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 का इन्द्राजात होने प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 ने गलत तरीके से उक्त विवादित आराजी को प्रतिवादी स. 9 के यहां रहन रख दिया है। जबकि प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 को विवादित आराजी को प्रतिवादी स. 9 के यहां रहन रखने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। इसके अलावा प्रतिवादी स. 9 ने भी विवादित आराजी के सबंध में जाच किये बिना ही उक्त विवादित अराजी को अपने पास रहन रख लिया इसलिए वादी उक्त रहन चुकता कराने का जिम्मेदार नही है।प्रतिवादी स. 9 स्वयं प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 से उसकी अन्य आराजी से ऋण चुकता कराने का अधिकारी है। क्योकि प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 ने प्रतिवादी स. 9 के यहांरहन की कार्यवाही अवैध तरीके से की है। इसलिए वादी उक्त रहन को चुकता कराने के लिए बाध्य नही है। प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 का गलत इन्द्राजात होने के कारण प्रतिवादीगण ने दिनांक 02.08.11 मुझ वादी को विवादित आराजी से जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल कर अपना कब्जा करने की धमकी दी है। तथा विवादित अराजी को रहनबय करके खुर्द बुर्द करने की धमकी मुझ वादी को दी है। यदि प्रतिवादीगण उक्त आशय में कामयाब हो गये तो मुझ वादी को अजीम क्षति होगी। ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादीगण को आराजी से किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने हेतु हुक्मइम्तनाई दावामी की डिक्री से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स. 7 व 8 द्वारा कोई रिलीफ नही चाही है।

अन्त में प्रार्थना की दावा वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जावें कि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। तथा रिकार्ड से प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर मुझ वादी की खातेदारी दर्ज कि जावें। एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दावामी की डिकी से पाबन्द किया जावे कि वे आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की तालीम बावजूद अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 10 की तामील जरिये रजिस्टर्ड ऐण्डी से कराई तामील होकर ऐण्डी वापस आई उसके बावजूद भी उपस्थित नही हुऐ तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2063–66 बाके ग्राम सेवला प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम सेवला प्रदर्श 2, नकल बयनामा दिनांक 18.01.1974 प्रदर्श 3, नकल जमाबंन्दी संवत 2028 भू.प्रबंधक विभाग प्रदर्श 4, पेश किये गये। तथा मौखिक बयान के रूप में श्याम पुत्र मुख्तार जाति जाअ निवासी सेवला, खुशीराम पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई के पेश किये गये। पत्रावली बहस अन्तिम नियत कि गई।

वादी वकील की बहस एक तरफा सुनी गई। वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराया गया । लिखित बहस पेश कि गई। बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया विवादित आराजी ख.न. 208 रकवा 0.05 व 209 रकवा 0.14 हैक्ट. वाके सेवला पर प्रतिवादीगण की खातेदारी का अंकन हो रहा है। तथा उक्त आराजी साबिक ख.न. 134 रकवा 15 विस्वा से बने है। जो मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 से साबित है। संवत 2060 के अनुसार शेरसिंह , बसन्ता ।पिसरान रामजी जाति जाट निवासी सेवला की खातेदारी का अंकन हो रहा है। परन्तु शेरसिंह व बसन्ता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.01.1974 में वादी श्याम पुत्र मुख्तार जाति जाट निवासी सेवला के पक्ष में करा दिया परन्तु उक्त बयनामा का नामान्तकरण वादी के हक में न हाने के कारण खातेदारी के इन्द्राजात प्रतिवादीगण के नाम ही बदस्तूर चले आ रहे है। जो कि गलत इन्द्राजात होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी को रहन रख दिया गया जो कि गलत है। प्रतिवादी शेरसिंह व बसन्ता द्वारा किया गया वादी के पक्ष में विवादित आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होने के कारण प्रतिवादीगण का कोई रकवा शेष नही रहा ना ही हक रहा है। तथा मौके पर अपने–अपने रकबा काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। एवं वादी द्वारा प्रस्तुत बयान श्याम पुत्र मुख्तार जाति जाअ निवासी सेवला, खुशीराम पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई के पेश किये गये। जिनसे भी साबित है कि उक्त विवादित आराजी पर वादी श्याम पुत्र मुख्तार का आराजी पर कब्जेकाश्त में है। इस प्रकार प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 के नाम दर्ज चले आ रहे खातेदारी के इन्द्राजात काबिल कलमजन के है। अतः वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नं. 208 रकबा 0.05 हैक्ट. व 209 रकवा 0.14 हैक्ट. वाके ग्राम सेवला तहसील नदबई पर प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 के नाम दर्ज चले आ रहे खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी श्याम पुत्र मुख्तार जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल ुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

^ विनोद कुमार मीना>
सहायक कलक्टर
नदबई^ भरतपुर>